धारा 6–ए प्रकरण सं0 04/2017 अनवान **रविन्द्र कुमार पुत्र श्री राम जाति बिश्नोई** निवासी 64 एलएनपी पुलिस थाना घमूण्डवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.02.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी रविन्द्र कुमार के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास एवं विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी रविन्द्र कुमार के अभिभाषक श्री आनन्द व्यास का कथन था कि दिनांक 19.11.2008 को वृताधिकारी श्रीकरनपुर द्वारा जब्त एक टैम्पू संख्या आरजे 13 जीए 1412 मय डाला में रखे 8 ड्रम जिनमें करीब 1720 लीटर डीजल भरा हुआ मानकर प्रार्थी रविन्द्रकुमार के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक एफ.आई.आर. संख्या 136/2008 पुलिस थाना घमूण्डवाली में दर्ज करवायी गई एवं तत्पश्चात प्रवर्तन अधिकारी द्वारा कार्यवाही कर धारा 6ए का प्रकरण संख्या 119/2009 सरकार बनाम रविन्द्रकुमार का प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 28.11.2011 को वाहन एव डीजल राजसात करने का आदेश पारित किया जाकर वाहन की एवज में 63622/–रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध रविन्द्र कुमार व सुभाषचन्द्र द्वारा जिला एवं सैशन न्यायालय श्रीगंगानगर में प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 11/2012 रविन्द्रकुमार आदि बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2012 के द्वारा राजसात किये गये वाहन की एवज में आरोपित जुर्माना राशि 63622/–रूपये को संशोधित किया जाकर **पच्चीस हजार रूपये वाहन** के राजसात की एवज में जुर्माना लगाया गया। प्रार्थी द्वारा वाहन की एवज में अधिरोपित राशि 25000/–रूपये जमा करवाकर प्रार्थी द्वारा प्राप्त किया हुआ है।

उनका आगे कथन था पुलिस थाना घमूण्डवाली में दर्ज धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम की एफ.आई.आर. संख्या 136/2008 प्रार्थी रविन्द्रकुमार के विरूद्ध मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के न्यायालय में चालान पेश किया गया जो फौजदारी प्रकरण संख्या 99/2009 सरकार बनाम रविन्द्रकुमार के रूप में दर्ज होकर दिनांक 24.08.2016 को निर्णित हुआ। निर्णय अनुसार अभियुक्त रविन्द्रकुमार को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से उन्मोचित किया गया है। चूंकि रविन्द्र कुमार धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के उक्त प्रकरण में दोष मुक्त हो चुका है जिसके विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई अपील/रिवीजन व रिट आदि प्रस्तुत नही की गई है और न ही कोई विचारणीय है।

उनका आगे कथन था कि राजसात किये गये टैम्पू संख्या आरजे 13 जीए 1412 का पंजिकृत स्वामी सुभाषचन्द्र पुत्र श्री इमीलाल जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न0 7, साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर है जो प्रार्थी रविन्द्रकुमार द्वारा खरीद किया हुआ है। इसलिए धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में अभियुक्त रविन्द्र कुमार के दोष मुक्त होने के कारण धारा 6ए के प्रकरण में जब्त शुदा डीजल या डीजल की विक्रय राशि एवं वाहन की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि 25000/–रूपये वापिस लौटाने के आदेश प्रदान किये जावे।

जिला कलेक्टर

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 119/2009 सरकार बनाम रविन्द्र कुमार में पारित आदेश दिनांक0 28.11.2011 के द्वारा जब्त शुदा 1720 लीटर डीजल मय 8 ड्रम एवं वाहन टैम्पू टाटा एस नम्बर आरजे 13जीए 1412 को राजसात करने का आदेश दिया गया था और राजसात किये गये उक्त वाहन की एवज में 63622/–रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध रविन्द्र कुमार व सुभाषचन्द्र द्वारा सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत दाण्डिक अपील संख्या 11/2012 में पारित निर्णय दिनांक 20.03.2012 के द्वारा राजसात किये गये वाहन की एवज में लगायी गई जुर्माना राशि 63622/–रूपये को संशोधित कर 25000/–रूपये जुर्माना कायम किया गया है। उनका आगे कथन था कि प्रार्थी रविन्द्रकुमार द्वारा उक्त जुर्माना राशि जमा नही करवाई गई है बल्कि सैशन न्यायाधीश महोदय, श्रीगंगानगर के अपराधिक अपील संख्या 154/2009 रविन्द्रकुमार बनाम राज0 राज्य में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2010 के द्वारा दो लाख रूपये राशि की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का सुपुर्दगीनामा पर दिये जाने के आदेश दिये गये है। इस आदेश की पालना में प्रार्थी रविन्द्रकुमार ने श्रीमानजी न्यायालय से सुपुर्दगीनाम एवं जमानतनामा दिनांक 05.08.2010 को तस्दीक करवाकर वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त किया हुआ है। इसलिए माननीय सैशन न्यायालय के आदेश 20.03.2012 की पालना में 25000/–रूपये जुर्माना राशि प्रार्थी रविन्द्रकुमार द्वारा जमा नही करवाई गई है बल्कि इससे पूर्व ही प्रार्थी ने वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त कर लिया है। जब प्रार्थी द्वारा उक्त 25000/–रूपये जुर्माना राशि जमा ही नही करवायी गयी है तो वह वापिस लौटाये जाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। इसलिए प्रार्थी की यह प्रार्थना खारिज किये जाने योग्य है।

उनका आगे कथन था कि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के फौजदारी प्रकरण संख्या 99/2009 सरकार बनाम रविन्द्रकुमार में मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2016 के द्वारा अभियुक्त रविन्द्रकुमार को धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के आरोप से उन्मोचित किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध विभाग द्वारा अपील नही की गई है। धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में अभियुक्त रविन्द्रकुमार के दोष मुक्त होने पर धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में जब्त शुदा सामान आदि वापिस लौटाये जाने का अधिनियम में प्रावधान है। इसलिए धारा 6ए के प्रकरण में राजसात किया गया 1720 लीटर डीजल लौटाये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नही है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी रविन्द्रकुमार ने दिनांक 28.12.16 को एक प्रा0 पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि वह अपराधिक प्रकरण संख्या 99/2009 सरकार बनाम श्योप्रकाश धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 24.08.2016 के द्वारा उन्मोचित हो चुका है। इसलिए धारा 6ए के प्रकरण संख्या 119/2009 सरकार बनाम रविन्द्र कुमार में जब्त शुदा डीजल या उसकी विक्रय राशि एवं वाहन की एवज में जमा करवाई गई जुर्माना राशि 25000/–रूपये वापिस लौटाने की प्रार्थना की गई है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त प्रार्थना के संबंध में मैने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6क(3)(ग) का अवलोकन किया, जिसमें निम्न प्रावधान है:—

> **6क(3)(ग)—जहां ऐसे आदेश के उल्लंघन के लिए, जिसके संबंध में इस धारा के अधीन अधिग्रहण का आदेश किया गया है संस्थित किसी अभियोजन में संबंधित व्यक्ति दोषमुक्त कर दिया जाता है।**
>
> **वहां उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसका अभिग्रहण किया गया है, संदत किए जाएंगें।**

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि धारा 6ए के प्रकरण संख्या 119/2009 सरकार बनाम रविन्द्रकुमार में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2011 के अनुसार जब्त शुदा 1720 लीटर डीजल मय 8 ड्रम एवं वाहन टैम्पो टाटा एस नम्बर आरजे 13जीए 1412 को राजसात किया गया था। राजसात किये गये उक्त वाहन की एवज में 63622/—रूपये जुर्माना लगाया गया था। इस आदेश के विरूद्ध रविन्द्र कुमार व सुभाषचन्द्र द्वारा जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील संख्य 11/2012 प्रस्तुत करने पर उक्त अपील में जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2012 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय 28.11.2011 के द्वारा वाहन राजसात की एवज में अधिरोपित जुर्माना राशि 63622/—रूपये को संशोधित कर **पच्चीस हजार रूपये जुर्माना वाहन** की राजसात की एवज में लगाया गया है और जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर के प्रतिवेदन संख्या 12334 दिनांक 20.12.2017 के अनुसार जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय की पालना में वाहन की एवज में संशोधित की गई जुर्माना राशि 25000/—रूपये प्रार्थी रविन्द्र कुमार द्वारा जमा नही करवाई गई है बल्कि इस न्यायालय के धारा 6ए के प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वाहन सुपुर्दगी पर चाहे जाने पर आदेश दिनांक 13.08.2009 के द्वारा दो लाख की बैंक गारन्टी पर वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया गया जिसके विरूद्ध रविन्द्र कुमार द्वारा सैशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत अपराधिक अपील संख्या 154/09 में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2010 की पालना में प्रार्थी रविन्द्र कुमार दो लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा एवं इसी कदर इसी राशि की सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर छोडने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में प्रार्थी द्वारा उक्त राशि का सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा दिनांक 05.08.2010 का तस्दीक किय जाकर आदेश संख्या 1777 दिनांक 05.08.2010 के द्वारा वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने का दिया जा चुका है। चूंकि वाहन प्रार्थी को पूर्व में ही सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है इसलिए प्रार्थी द्वारा सैशन न्यायालय के निर्णय 20.03.2012 की पालना में आरोपित जुर्माना राशि 25000/—रूपये जमा नही करवाई है और जिला रसद अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2017 अनुसार भी प्रार्थी द्वारा यह जुर्माना राशि जमा नही करवाई है। इसलिए प्रार्थी द्वारा 25000/—रूपये जुर्माना राशि जमा नही करवाने के कारण वापिस नही लौटाई जा सकती है। इसलिए प्रार्थी की 25000/—रूपये जुर्माना राशि लौटाने की प्रार्थना खारिज की जाती है।

शा/ जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

चूंकि धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के फौजदारी प्रकरण संख्या 99/2009 सरकार बनाम रविन्द्रकुमार में मुख्य न्यायिक मजि0 श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय 24.08.2016 के द्वारा अभियुक्त प्रार्थी रविन्द्रकुमार को धारा 3/7 आवश्यक अधिनियम के आरोप से उन्मोचित किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी रविन्द्र कुमार ने राजसात किये गये डीजलया डीजल की विक्रय राशि लौटाने की प्रार्थना की गई है।

चूंकि धारा 6क(3)(ग) के उक्त कानूनी प्रावधानो के तहत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराधिक प्रकरण में दोष मुक्ति पर धारा 6ए के प्रकरण में राजसात किये गये वाहन व वस्तु को उसके स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे जब्त किया गया है को वापिस लौटाया जा सकता है।

अतः प्रार्थी रविन्द्रकुमार का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2016 **आंशिक** रूप से स्वीकार किया जाकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 99/2009 सरकार बनाम रविन्द्रकुमार में मुख्य न्यायिक मजि0, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.08.2016 से अभियुक्त प्रार्थी रविन्द्र कुमार की दोष मुक्ति के परिणाम स्वरूप धारा 6ए के प्रकरण संख्या 119/2009 सरकार बनाम रविन्द्र कुमार में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2012 के द्वारा राजसात किये गये 1720 लीटर डीजल की विक्रय राशि नियमानुसार प्रार्थी रविन्द्र कुमार को वापिस लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अभिलेखागार में जमा शुदा धारा 6ए की पत्रावली संख्या 119/2009 आदेश की प्रति सहित वापिस लौटाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर